

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक—प्र-4 पेट्रोलियम-2/2020-1927 खाद्य, पटना/दिनांक -02/5/2020
प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:— पेट्रोल एवं डीजल को निर्धारित मात्रा से कम देने, अपमिश्रण एवं अनाचार (Malpractices) को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों का नियमित निरीक्षण कराने एवं दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग:— विभागीय पत्रांक 155 दिनांक 12.01.2010 एवं पत्रांक 5477 दिनांक 09.06.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेट्रोल एवं डीजल एक आवश्यक वस्तु है जिसे आम जनता को सही गुणवत्ता में निर्धारित दर पर सही मात्रा में उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान परिदृश्य में पेट्रोल एवं डीजल परिवहन के मुख्य ईंधन है जिसका सरकारी, निजी एवं व्यापारिक वाहनों में उपयोग किया जाता है। आम जनता को निर्धारित दर पर सही गुणवत्ता और मात्रा में पेट्रोल/डीजल उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पेट्रोल पम्पों द्वारा मुनाफाखोरी करने के लिए मिलावटी पेट्रोल/डीजल, डीसपेंसिंग पम्प के मीटर में हेरा फेरी कर कम मात्रा में आपूर्ति, ब्रांडेड उत्पाद के नाम पर घटिया उत्पाद की बिक्री बेचने, निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। साथ ही पेट्रोल पम्पों पर अपेक्षित सुविधाएँ जैसे महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग साफ शौचालय, पीने का पानी, वाहनों में हवा आदि उपलब्ध नहीं कराये जाने की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पेट्रोल में किरासन तेल मिलावट एवं पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का तौल कम करने तथा अपमिश्रण की जाँच हेतु निदेश दिया गया है, परन्तु अपेक्षित परिणाम का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

विदित हो कि पेट्रोल पम्पों द्वारा किये जाने वाले अनाचार (Malpractices) को रोकने हेतु “Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005” आदेश निर्गत है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनाचार (Malpractices) यथा— अपमिश्रण (Adulteration), चोरी (Pilferage), भंडार अंतर (Stock Variation), अप्राधिकृत विनिमय (Unauthorised Exchange), अप्राधिकृत क्रय (Unauthorised Purchases), अप्राधिकृत विक्रय (Unauthorised Sale), अप्राधिकृत कब्जा (Unauthorised Possession), अतिप्रभार (Over Charging), अविनिर्देशगत उत्पादों का विक्रय (Sale of off specification product), परिदान की कमी (Short Delivery) पाये जाने तथा अप्राधिकृत व्यक्ति/कारोबारी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का व्यापार/बिक्री किये जाने पर, दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु 22 पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न। इसके अतिरिक्त तेल विपणन कंपनी (OMC) द्वारा “Marketing Discipline Guidelines 2012” भी निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पम्पों द्वारा

अनियमितता/निर्धारित मापदंड यथा स्वच्छ शौचालय/हवा/पीने का पानी की व्यवस्था नहीं रहने, निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल/डीजल देने/निर्धारित दर से अधिक कीमत लेने एवं मिलावटी उत्पाद की बिक्री का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित OMC (Oil Marketing Companies) द्वारा आर्थिक दंड, तेल की आपूर्ति एवं वितरण को निलंबित करने एवं डीलरशीप को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है।

पेट्रोल पम्पों का नियमित निरीक्षण जिला के प्राधिकृत पदाधिकारियों से कराया जाना आवश्यक है। इस निमित्त एक जाँच दल का गठन किया जाय जिसमें माप तौल विभाग के पदाधिकारी/निरीक्षक को रखा जाय तथा संलग्न विहित प्रपत्र में पेट्रोल पम्प का निरीक्षण कराया जाय। निरीक्षण के क्रम में फिल्टर टेस्ट (Filter Test), घनत्व जाँच (Density Test) तथा अपमिश्रण (Adulteration) की जाँच करने हेतु पेट्रोल/डीजल का नमूना लेने की प्रक्रिया भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है। जिला में पदस्थापित तेल कम्पनी के जिला समन्वयक पदाधिकारी से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है एवं उनसे पेट्रोल एवं डीजल का नमूना लेने हेतु आवश्यक मात्रा में अल्युमिनियम कंटेनर, बुडेन बॉक्स, प्लास्टिक सील, सीलिंग वायर एवं प्लायर आदि प्राप्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल/डीजल का लिये गये नमूना को दस दिनों के अंदर ही तेल कम्पनी के रिफाईनरी/जाँच केन्द्रों पर भेजा जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में प्राधिकृत पदाधिकारियों से पेट्रोल पम्पों की सतत जाँच/निरीक्षण कराया जाय। निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन/अनाचार आदि पाये जाने की स्थिति में छोटी-छोटी अपराधों के लिए "Marketing Discipline Guidelines 2012" के तहत कार्रवाई करने हेतु संबंधित तेल विपणन कंपनी को निदेशित करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन (Action Taken Report) भी प्राप्त करने तथा वृहद अपराध यथा पेट्रोल/डीजल में मिलावट, निर्धारित मात्रा से कम देने, निर्धारित दर से अधिक लेने, ब्रांडेड उत्पाद के स्थान पर घटिया उत्पाद देने, अप्राधिकृत क्रय, अप्राधिकृत विक्रय, अप्राधिकृत भंडारण, अप्राधिकृत विनिमय, अप्राधिकृत कब्जा आदि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० अग्र०।

विश्वासभाजम

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- ५-५ पेट्रोलिफ-०२/२०२०-१९२७ खाद्य, पटना/दिनांक- ०२/५/२०२०
प्रतिलिपि:- अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पेट्रोल पम्प (Retail Outlet) का निरीक्षण प्रतिवेदन

34

1. दिनांक समय
2. निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम.....
3. पेट्रोल पम्प का नाम एवं पता
4. सम्बद्ध तेल कंपनी का नाम
5. प्रो0 का नाम एवं पता
6. पेट्रोल पम्प का अनुज्ञापि संख्या एवं नवीकरण की स्थिति—
7. माप तौल विभाग का निबंधन पत्र एवं नवीकरण की स्थिति—
8. विस्फोटक अनुज्ञापि संख्या एवं नवीकरण की स्थिति—

पेट्रोल पम्प (Retail Outlet) के अन्दर सुविधाओं की जांच करते हुए निम्नलिखित पर सही (✓) का निशान लगावें।

- | | | | | |
|---|-----|--------------------------|------|--------------------------|
| 9 (i) डीलर का नाम/टेलीफोन नं० प्रदर्शित है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (ii) तेल कम्पनी के पदाधिकारी का नाम/दूरभाष संख्या जिसके पास उपभोक्ता चाहे तो शिकायत कर सकता है, को प्रदर्शित किया गया है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (iii) कार्य की अवधि/अवकाश की सूचना प्रदर्शित है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (iv) पेट्रोल पम्प (Retail Outlet) के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद का प्रारम्भिक भंडार/उत्पाद का बिक्री मूल्य का प्रदर्शन किया गया ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (v) पेट्रोल में मिलावट की जाँच हेतु पोस्टर प्रदर्शित ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (vi) पीने का पानी उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (vii) प्रकाश की समुचित व्यवस्था है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (viii) रेडियेटर वाटर उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (ix) कार्यावधि में वाहनों के लिए हवा की सुविधा उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (x) बिजली की आपूर्ति बंद होने पर जेनरेटर/यू0पी0एस0 की सुविधा उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (xi) टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (xii) First Aid Box उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (xiii) ड्राईव वे बना है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (xiv) पॉश मशीन उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (xv) शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (क) महिला और पुरुष का शौचालय अलग-अलग है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (ख) शौचालय के अन्दर पानी उपलब्ध है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (ग) शौचालय के दरवाजे के अन्दर सिटकीन काम करता है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (घ) शौचालय का दरवाजा बंद रहता है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |
| (ङ) शौचालय के अन्दर प्रकाश की व्यवस्था है ? | हाँ | ☐ | नहीं | ☐ |

(नोट— “नहीं” की स्थिति में उसका फोटो लेकर संबंधित तेल कम्पनी के पदाधिकारी को भेजकर “MDG 2012” के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु निदेशित करते हुए तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन माँगा जाना है)

10. तेल कम्पनी द्वारा सभी उत्पादों के लिए उपलब्ध कराया गया भंडार पंजी संधारित है ? हाँ ☐ नहीं ☐

11. डिस्पेंसिंग यूनिट का माप तौल का सील सही पाया गया ?

पेट्रोल (MS)		डीजल (HSD)	
हाँ	☐	नहीं	☐

12. तेल वितरण- माप-तौल विभाग से सत्यापित पाँच लीटर मापना से तेल का सत्यापन करना।

(a) तेल का माप सही पाया गया ? हाँ ☐ नहीं ☐

(b) तेल का माप अधिक पाया गया (मात्रा लीटर में).....

(c) तेल का माप कम पाया गया (मात्रा लीटर में).....

13. संधारित भंडार पंजी के अनुसार भंडार की स्थिति एवं सत्यापन

उत्पाद का नाम	प्रारम्भिक भंडार	प्राप्ति	निरीक्षण के समय तक बिक्री	अवशेष	सत्यापन	अभ्युक्ति
MS (पेट्रोल)						
HSD (डीजल)						

14. फिल्टर पेपर जाँच (पेट्रोल)- सही पाया गया ? हाँ ☐ नहीं ☐

15. 15° C पर घनत्व जाँच (Density test at 15° C)

Product	Recorded	Observed	Variation
MS (पेट्रोल)			
HSD (डीजल)			

16. पेट्रोल पर उपस्थित उपभोक्ता के अनुसार पेट्रोल पम्प पर कार्यरत कर्मियों का व्यवहार कैसा था ?

खराब ☐ बहुत खराब ☐ अच्छा ☐ बहुत अच्छा ☐

(उपभोक्ता का नाम एवं मोबाईल नं० की सूची संलग्न करें।)

17. मंतव्य:-

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

फिल्टर पेपर— परीक्षण (सिर्फ पेट्रोल के लिए)

32

- (i) सभी पेट्रोल पम्प पर फिल्टर पेपर उपलब्ध रहता है।
- (ii) नोजल से फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की एक बूंद डालें।
- (iii) इस फिल्टर पेपर पर बिना कोई दाग-धब्बा छोड़े हुए लगभग दो मिनट में वाष्प बन जाना चाहिए (अगर फिल्टर पेपर का वह हिस्सा गुलाबी रहता है, जहाँ मोटर स्पीट की बूंदें रखी गयी थी, तो वह मोटर स्पीट का रंग है और कोई दाग धब्बा नहीं है)।
- (iv) यदि फिल्टर पेपर पर कोई दाग धब्बा रह जाता है तो मिलावट की संभावना है। ऐसी स्थिति में घनत्व जाँच करना चाहिए। घनत्व जाँच पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए होता है।

घनत्व जाँच (Density Test)

इस जाँच को करने लिए 500 मि०ली० के एक जार, हाईड्रोमीटर, थर्मामीटर और ए०एस०टी०एम० के परिवर्तन चार्टों की आवश्यकता होती है। हाईड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के एक बहुत साधारण उपकरण है, जो पेट्रोल एवं डीजल के लिए अलग-अलग होगा। सभी पेट्रोल पम्प पर उपरोक्त उपकरण उपलब्ध रहता है।

नोजल के माध्यम से लिए गए उत्पाद से जार को लगभग तीन चौथाई भर दें। जार में थर्मामीटर और हाईड्रोमीटर को डूबा दें और संकेत के अनुसार तापमान और घनत्व को नोट कर लें। तत्पश्चात् देखे गए वास्तविक घनत्व को परिवर्तन चार्ट की मदद से 15 डिग्री सेल्सीयस पर घनत्व में बदला जाता है। फिर इस परिवर्तित घनत्व की तुलना सुपुर्दगी चालान पर लिखित घनत्व के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों पर रखे गए रिकॉर्डों द्वारा प्रदर्शित घनत्व से की जाती है। यदि अंतर 0.0030 से अधिक है तो यह मिलावट की संभावना का संकेत देता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पाद का नमूना लिया जाता है।

Sampling of Product – From the tank, nozzle, vehicle or receptor as the case may be to check whether density and/or other parameters of the products confirm.

- (i) नमूना हेतु अल्युमिनियम कंटेनर, प्लास्टिक सील, सीलिंग वायर, सीलिंग प्लायर तथा वुडेन बॉक्स संबंधित तेल कंपनी के पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) एक लीटर के तीन नमूने डीजल का तथा छः नमूने पेट्रोल का लिये जायेंगे। तीन नमूना में से दो सेट पेट्रोल का एवं एक सेट डीजल का लिये जायेंगे।
- (iii) उस पर हस्ताक्षर कर उसको सीलबंद कर दिया जायेगा।
- (iv) नमूना साफ, एल्युमिनियम बर्तन में लिये जायेंगे। (प्लास्टिक जार में नहीं लिया जायेगा)।
- (v) एक Sample को संबंधित पेट्रोल पम्प अथवा जहाँ नमूना लिया गया हो उसके मालिक/प्रतिनिधि को, दूसरा तेल कम्पनी या विभाग को तथा तीसरा नमूना जाँच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जायेगा।
- (vi) सैम्पल के वुडेन बॉक्स पर Sample Label साटना है।

उत्पाद के लिए गये नमूने को 10 दिन के भीतर अधिसूचित प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजा जाना चाहिए। मिलावट के मामले में प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन आने/पदस्थापित के पश्चात् ही कार्रवाई किया जाना चाहिए। अधिसूचित प्रयोगशाला की सूची जिला में तेल कम्पनी के पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

(81)

Sample Lable- Samples drawn from retails outlets.

Location –

Date/Time-

1. Name and address of the Retail outlet.
2. Name of the Oil Company, to which the Retail outlet belongs-
3. Product- MS/HSD-
4. Source of Sample-
5. Dispensing Unit No.-
Tank No.
6. Samples drawn on – at- hours
7. Density at 15 Deg C (a) as recorded in the Density Register-
(b) observed by inspecting officer-
8. Date of last receipt of product in this tank-
9. Tank Lorry No. of Last receipt-
10. Plastic Seals No. of Aluminium container-
11. Plastic seals no. of wooden box-

Certified that empty containers had been rinsed with the product before drawing of samples in my presence and that one set of sample out of 3 sets of samples drawn has been handed over to me for retention in safe custody till further advice from Inspecting Officer.

Signature of the dealer/

Dealer's Representative

Name of the dealer/

Dealer's Representative

Seal/rubber stamp of the RO-

Signature-

(Inspecting Officer)

Sample drawn by-

Designation-

Contact No.-

Contact No.-

Place and Date-

36

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010

5477

खाद्य, पटना/दिनांक- 9.6.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का तौल कम करने एवं
अपमिश्रण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेट्रोल पम्पों द्वारा उपभोक्ताओं को भुगतान की गई राशि के विरुद्ध कम पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति करने एवं उनमें अपमिश्रण करने की शिकायतें विभाग को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं ।

विदित हो कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 266 दिनांक 14.01.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी सहित राज्य के कुल 22 श्रेणी के पदाधिकारियों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (डीजल) के किसी स्थान/परिसर में प्रवेश कर जाँच एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

उपभोक्ताओं को सही तौल एवं अपमिश्रणरहित पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव जिलों में कार्यरत पेट्रोल पम्पों द्वारा सही माप तौल में एवं अपमिश्रितरहित पेट्रोल एवं डीजल की विक्री सुनिश्चित कराने हेतु जिलों में पदस्थापित माप-तौल पदाधिकारी तथा पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संयुक्त जाँच दल का गठन किया जाय और पेट्रोल पम्पों की नियमित जाँच करायी जाय । जाँच के क्रम में अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके आलोक में कड़ी कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

9/6/2011
प्रधान सचिव ।

29 44

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी०एस०आर० दिनांक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सा०का०नि० 729(अ) दिनांक 19.12.2005 के
मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार
निवारण) आदेश 2005 के कंडिका - 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ पठित
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम 10, 1955) की धारा - 3 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल द्वारा
उक्त आदेश के कंडिका - 7 के प्रावधानों के तहत राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों
को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल के
किसी स्थान/परिसर में प्रवेश जॉच एवं जप्ती करने हेतु पाश्चिकृत किया जाता है :-

1. प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप
सचिव/अवर सचिव/खाद्यायुक्त के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग, बिहार, पटना ।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
3. सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक
4. सभी जिला पदाधिकारी
5. सभी आरक्षी अधीक्षक
6. सभी अपर जिला दण्डाधिकारी
7. सभी अपर समाहर्ता
8. सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति
9. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
10. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
11. अनुज्ञापन प्राधिकारी
12. सभी आरक्षी उपाधिक्षक
13. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
14. प्रभारी दण्डाधिकारी उड़नदस्ता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार,
पटना
15. सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी
16. विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन, पटना
17. उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
18. सभी सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना

97

विश्व सरकार
खाद्य एवं सार्वजनिक संरक्षण विभाग

क्रांक-प्र06-कि0आ0-11/2002 155

/खाद्य,पटना/दिनांक-12.1.10

प्रेषक,

राधा बिहारी ओझा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- पेट्रोल में किरासन तेल के मिलावट करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेट्रोल पंपों पर किरासन तेल का पेट्रोल में अपमिश्रण करने के संबंध में सूचना/शिकायत विभिन्न माध्यमों से विभाग को प्राप्त होती रहती है । किरासन तेल का पेट्रोल में मिलावट के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पेट्रोल/डीजल पंपों की जाँच कराने का निर्णय लिया गया है ।

अतएव अनुरोध है कि जिला में कार्यरत पेट्रोल पम्पों में से कम-से-कम पाँच पेट्रोल पंपों की जाँच करायी जाय तथा वहाँ से पेट्रोल/डीजल का नमूना प्राप्त कर उसकी जाँच तेल कंपनियों में कार्यरत प्रयोगशाला से कराकर उसके फलाफल से अविलंब विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे प्राथमिकता दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-कि0आ0-11/2002 155

/खाद्य,पटना/दिनांक-12.1.10

प्रतिलिपि- विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन पटना, अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना तथा सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निदेश के साथ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

